रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 1987/माघ 2, 1908
No. 43] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 1987/MAGHA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 53(अ):—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 फरवरी, 1987 को उस तारीख के रूप मे नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम मणिपुर राज्य मे प्रवृत्त होगा।

[संख्या 1(19)/86-वक्फ]

एस. एम. वाई. नदीम, उप सचिव

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 22nd January, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 53(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), the Central Government hereby appoints the 2nd day of February, 1987, as the date on which the said Act shall come into force in the State of Manipur.

[No. 1(19)|86-Wakf]

S. M. Y. NADEEM, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987